**प्रेस नोट**
**दिनांक 18.05.2026**

## थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

**कार्यवाहीः–**
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–370/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त– राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला नि0 पूरे उदई थाना को0देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण–**
वादी अंजनी कुमार चौबे पुत्र राघवराम चौबे निवासी ग्राम भैसहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री ज्योति का विवाह दिनांक 18.06.2021 को राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पूरे उदई थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के साथ किया था। विवाह में अपनी सामर्थ्य अनुसार अपाची मोटरसाइकिल, ₹3,00,000 नगद, सोने की अंगूठियां, जंजीर व अन्य घरेलू सामान दिया गया था। आरोप है कि पति राजन शुक्ला, सास ममता शुक्ला, ससुर प्रभुनाथ शुक्ला तथा देवर अमन शुक्ला दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन व दो तोला सोने की जंजीर की मांग करते हुए ज्योति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 04.05.2026 को उक्त सभी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर ज्योति के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 18.05.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला नि0 पूरे उदई थाना को0देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**
01. राजन शुक्ला पुत्र प्रभुनाथ शुक्ला नि0 पूरे उदई थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**
01. मु0अ0सं0–370/26 धारा 85,80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**
01. उ0नि0 आत्मा सिंह।
02. हे0कां0 उमेश प्रताप सिंह।

**मीडिया सेल, गोण्डा।**